## न्यूज ब्रीफ

### मूंगफली की फसल लेकर नारद ने 4 गुना से अधिक का लिया मुनाफा

**राजनांदगांव।** फसल विविधिकरण को अपनाकर वनांचल ग्राम घोटिया के किसान नारद पटेल ने रबी मौसम में उन्नत तकनीक से मूंगफली की फसल लेकर कास्त लागत से 4 गुना से अधिक का मुनाफा लिया है। छुरिया विकासखंड के ग्राम घोटिया निवासी नारद पटेल ने बताया कि उन्होंने एक हेक्टेयर में मूंगफली की खेती की, जिसमें 12 क्विंटल का उत्पादन हुआ है जिससे उन्हें 72 हजार रूपए का कुल आय प्राप्त हुआ। इस खेती में कास्त लागत 14 हजार 47 रूपए लगा था और 57 हजार 953 रूपए की शुद्ध आय हुई है। नारद ने बताया कि उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। जिसमें वे एक हेक्टेयर में उद्यानिकी फसल तथा एक हेक्टेयर में मूंगफली की फसल ली है। नारद विगत 12 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं साथ ही मक्का एवं मूंग की खेती का अनुभव है। नारद ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने टीआरएफए तिलहन योजनान्तर्गत 1 हेक्टेयर में मूंगफली का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा मूंगफली का बीज प्रदाय किया गया था। इसके साथ-साथ मूंगफली की खेती के निंदाई, गुड़ाई के दौरान विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सलाह दिया गया।

### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से युवाओं के हौसलों को मिले पंख

**राजनांदगांव।** किसी के जीवन में एक कदम से एक बड़ा बदलाव एवं सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। शासन की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ऐसे ही एक बड़े बदलाव की बानगी है, जिसके माध्यम से युवाओं के हौसलों को पंख मिले हैं। राजनांदगांव जिले के इरफान सूफी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष 2023 में प्राप्त राशि 75 लाख रुपए के ऋण से अपनी तकदीर बदल गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें 7 लाख रूपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। राजनांदगांव शहर में स्थापित सूफी प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और देखते ही देखते ही इस प्रिंटिंग प्रेस ने शहर में अपनी विशेष पहचान बना ली। सूफी प्रिंटिंग प्रेस में कार्यरत उनके भाई इस्तियाक सूफी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में बहुत लाभप्रद है। उन्होंने युवाओं से कहा कि शून्य से भी आप अपने व्यवसाय को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत बैंक से ऋण लेकर तथा अनुदान प्राप्त कर प्रारंभ कर सकते है। उन्होंने बताया कि यह योजना उनके लिए बहुत लाभदायक रही।

### विश्रामपुर में अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचिया गिरफ्तार

**बलौदाबाजार।** ग्राम विश्रामपुर में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 01 शराब कोचिया को किया गया गिरफ्तार। आरोपी शराब कोचिया से 1400 कीमत मूल्य का 07 लीटर महुआ शराब किया गया जब्त। आपरेशन विश्वास के तहत थाना सिमगा पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को थाना सिमगा की पुलिस टीम द्वारा ग्राम विश्रामपुर में घेराबंदी कर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 1 आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 1400 कीमत मूल्य का 07 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपी कांति दास उम्र 49 साल निवासी ग्राम विश्रामपुर थाना सिमगा के विरुद्ध थाना सिमगा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

हितग्राहियों के घर पहुंच कर स्वयं किया सर्वे, विष्णु की पाती भी सौंपी, हर पात्र हितग्राही का पक्का मकान का सपना होगा पूराः टंकराम वर्मा

# राजस्व मंत्री ने जिले में मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान का किया शुभारंभ

पीपुल्स संवाददाता ● बलौदाबाजार

editor@peoplessamachar.co.in

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को सिमगा विकासखंड के ग्राम मोहरा से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए जिले में मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने मोहरा के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान मोबाइल एप्प से हितग्राहियों का जिओ टैगिग किया। उन्होंने हितग्राहियो को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी जिससे उनके पक्के मकान का सपना जल्द पूरा होगा। उन्होंने हितग्राहियो को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पाती भी सौंपा।

मोहरा के गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार गांव- गांव में हर परिवार का सर्वे किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं। इसी तरह मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी हितग्राहियों घर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने अधिकांश वायदे को पूरा कर दिया है। हमारी सरकार ने गरीब, मजदूर, महिला, किसान, युवा सबके लिए योजना बनाई है और उसका लाभ मिल रहा है जिससे प्रदेश में खुशहाली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को भी विकसित प्रदेश बनाना होगा। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम मोहरा के शासकीय हाई स्कूल परिसर की समतलीकरण के लिए 15 लाख एवं रामायण चौक के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल ने बताया कि आवास प्लस 2.0 अंतर्गत जिले में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें अब तक 80711 परिवारों का सर्वे हो चुका है। वर्ष 2024- 25 में जिले को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं ग्रामीण अंतर्गत 48000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब तक 41125 आवासों की स्वीकृति हुई है जिसमें करीब 12903 आवास पूर्ण हों गये हैं। जिला बलौदाबाजार -भाटापारा का अधिक संख्या में आवास पूर्ण कराने वाले जिलों में प्रदेश में दूसरा स्थान है।कार्यक्रम को जनपद सदस्य दौलत पाल एवं जिला पंचायत सदस्य डॉ मोहन लाल वर्मा ने भी सम्बोधित किया।

पात्र परिवारों का किया सर्वे,हितग्राही को सौंपा आवास की चाबी- राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मोहरा के जगर बाई फेकर पति मंगल फेकर के घर पहुंच कर बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आप लोगों के सुध लेने भेजा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप आवास के लिए पात्र हैं, आपका पक्का मकान बन जाएगा। यह सुनते ही फेकर बाई का चेहरा में खिल उठा और कहा कि कच्चे मकान में बहुत परेशानी है। पक्का मकान मिल जाएगा तो समस्या नहीं रहेगी जगर बाई ने बताया कि वह अपने पति के साथ बहू- बेटों से अलग रहती है। उन्हें महतारी वंदन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इसी तरह अनीता फेकर पति कुमार फेकर ने बताया कि परिवार मजदूरी पर निर्भर है और सीमित आय के चलते पक्के मकान नहीं बना पा रहे हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने राजस्व मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनका पक्का मकान का सपना जल्द पूरा होगा। इस दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्रीमती सुमित्रा पति मंगल राम को आवास पूर्ण होने पर चाबी सौंपी। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण कराने पर बधाई दी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर सरपंच तारिणी वर्मा, जनपद सदस्य पुष्पा चेलक, हेमंत वर्मा, जनपद सीईओ अमित दुबे सहित अन्य अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

मामले में इसके पूर्व 16 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजे जा चुके हैं जेल

## फार्म हाउस शराब मामले में मुंबई के 3 आरोपी गिरफ्तार

पीपुल्स संवाददाता ● राजनांदगांव

editor@peoplessamachar.co.in

थाना डोंगरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करवारी लतमर्रा जाने वाली कच्ची रास्ते में स्थित रोहित नेताम उर्फ सोनू के फार्म हाउस में दिनांक- 29.03.2025 को भारी मात्रा में मध्यप्रदेश की शराब 432 पेटी कीमती 27,32670/-रू को एवं घटना स्थल से खाली शीशी, गोवा व्हीस्की का स्टीकर, होलोग्राम का बण्डल एवं अन्य सामाग्री को जप्त करने में डोंगरगढ़ पुलिस को सफलता मिली थी। घटना की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के पता तलाश हेतु एक विशेष टीम गठित कर आरोपी पता तलाश हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया जिस पर घटित विशेष टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर कार्य करते हुये मामला में अब तक फार्म हाउस मालिक सहित कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी जा चुकी है। गिरफ्तारी आरोपीः- गणेश नारायण भोजने पिता नारायण भोजने जाति कुनबी मराठा, रोहिदास सतारडेकर पिता हरिशचन्द्र गोपाल सातरडेकर सुरज कदम पिता सुदाम कदम उम्र- 35 साल साकिन भाण्डुप वेस्ट, मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी चन्दन ममतानी को छ.ग. गोवा शराब के स्टीकर उपलब्ध कराने वाले आरोपी गणेश भोजने के पता तलाश हेतु एक विशेष टीम मुम्बई रवाना किया गया जहां विशेष टीम द्वारा छ0ग0 गोवा शराब के स्टीकर उपलब्ध कराने वाले 03 आरोपी को पकड़े। चन्दन ममतानी छत्तीसगढ़ गोवा का नकली स्टीकर बनवाने हेतु गणेश भोजने के पास एक छ.ग. शराब के गोवा का खाली शीशी लेबल लगा हुआ भेजा था। जिसके आधार पर आरोपी गणेश भोजने नकली स्टीकर तैयार कराने हेतु रोहिदास सातरडेकर एवं सुरज कदम मुम्बई निवासी से संपर्क किया जिस पर आरोपी रोहिदास सातरडेकर एवं सुरज कदम मुम्बई निवासी ने गणेश भोजने को छ.ग. गोवा शराब का स्टीकर (लेबल) प्रिन्ट कर दिये थे जिसे गणेश भोजने नागपुर निवासी चन्दन ममतानी को दिया था। छ.ग. गोवा शराब के नकली स्टीकर उपलब्ध कराने वाले तीनों आरोपीगण को दिनांक- 16.04.2025 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय पेश किया गया है।

## आयुक्त विश्वकर्मा सफाई देखने ममता नगर कालोनी-गोल बाजार क्षेत्र पहुंचे

पीपुल्स संवाददाता ● राजनांदगांव

editor@peoplessamachar.co.in

साफ सफाई का जायजा लेने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सुबह वार्ड विजिट कर रहे है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोज सफाई देख साफ सफाई में जोर देने सफाई कर्मचारियों को निर्देशित करने के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने तथा नागरिको को स्वच्छता से जोडने स्वास्थ्य अमला को निर्देश दे रहे है। आज उनके द्वारा ममता नगर कालोनी व उद्यान का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के अलावा गोल बाजार मे सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा बाजार में निमार्णाधीन आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य मे तेजी लाने उप अभियंता पिंकी खाती को निर्देशित किये। आयुक्त सुबह ममता नगर क्षेत्र में साफ सफाई निरीक्षण की कडी में कालोनी, गली, मोहल्ले में घुम प्रतिदिन कचरा उठाने निर्देश देने के अलावा रहवासियो को भी कचरा नाली या सडक में नही फेकने समझाईस दिये। उन्होंने ममता नगर उद्यान में घर का गंदा पानी आते देख उसे तत्काल रोकने कहा, वही गंदगी नही करने समझाईस दी। साथ ही उद्यान में साफ सफाई रखने कहा। गली नं. 5 में टॉवर लगे देख अनुमति की जॉच करने कहा। उन्होंने वार्ड प्रभारी से कहा कि सफाई के अलावा अतिक्रमण करने या मटेरियल रखने वालों को समझाईस देवे अपालन पर कार्यवाही करे। गोल बाजार में साफ सफाई देख आयुक्त विश्वकर्मा ने रात्रिकालीन सफाई की जानकारी लेकर स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि चुकि बाजार भीड भाड वाला इलाका है, जिसे ध्यान में रखकर यहा सफाई में जोर दिया जाए, फल सब्जी विक्रताओ को कचरा गाडी में डालने तथा झिल्ली पन्नी का उपयोग नहीं करने समझाइश दें। उन्होंने गोल बाजार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक शौचालय देख उप अभियंता से कहा कि निर्माण में तेजी लाएं-गुणवत्ता के साथ जल्द पूर्ण कराएं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

## चाकू लेकर डराने-धमकाने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार

पीपुल्स संवाददाता ● राजनांदगांव

editor@peoplessamachar.co.in

प्रार्थी को चाकू दिखाकर नशा करने के लिए पैसा ट्रांसफर कराने वाले आरोपियों को बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा प्रार्थी को नशा के लिए रकम की मांग कर चाकू दिखाकर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने प्रार्थी को डरा धमका कर फोन के माध्यम से अपने खाता में 15,000/रुपए ट्रांसफर कराया। घटना कारित करने के पश्चात प्रार्थी के मोबाइल को नदी में फेंक कर प्रार्थी के मोटर सायकल को किया क्षतिग्रस्त। आरोपियों से पुलिस ने किया एप्पल कंपनी का मोबाइल जब्त कर एवं घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाम आरोपी प्रकाश सोनकर उर्फ गट्टू पिता स्व. भुवन सोनकर उम्र 20 साल निवासी नंदई चौक, सोनकरपारा थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव। आनंद सोनकर पिता संतोष सोनकर उम्र 19 साल निवासी नंदई चौक पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव। जैनम सोनकर पिता पिता कांशीराम सोनकर उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं. 50 सिंगदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव। अन्य 3 विधि से संघर्षरत बालक। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रविन्द्र साहू पिता आकाश साहू उम्र 25 साल सा. बंगाली चाल थाना बसंतपुर की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13.04.2025 के रात्रि 10:00 बजे मोहारा मेला स्थल पर अपने दोस्तो के साथ गया हुआ था। कुछ देर बाद इसके दोस्त वहां से चले गये और प्रार्थी वहां पर अकेला था।

## 105 लीटर महुआ शराब के साथ 1 आरोपी पकड़ाया

पीपुल्स संवाददाता ● गरियाबंद

editor@peoplessamachar.co.in

नया सवेरा अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब, गांजा, जुआ-सट्टा पर प्रभावी कार्यवाही कर प्रतिबंध करने के संबंध में निर्देश दिये है। जिसके परिपालन में समस्त थाना क्षेत्रों मे मुखबीर सक्रिय किया गया था। जो आज दिनॉक 16/04/2025 को थाना प्रभारी फिंगेश्वर निरीक्षक पवन वर्मा को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम मंदबाय बम्हनदेही के यशवंत कुमार कमार अपने खेत धान फसल में जरकीन मे अधिक मात्रा मे कच्ची महुआ शराब को छुपाकर रखा है और बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ मुखबीर बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर 01 व्यक्ति को पकडे जिसे नाम पता पुछने पर एक व्यक्ति अपना यशवंत कुमार कमार पिता कुमार सिंग कमार उम्र 22 साल साकिन मंदबाय बम्हनदेही थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग. का रहने वाले बतायें। समक्ष गवाहन आरोपी के खेत का तलाशी लिया गया तलाशी पर उसके खेत में कच्ची महुआ शराब 10 लीटर क्षमता वाली 07 सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन मे कुल 70 लीटर, 05 लीटर क्षमता वाली 02 सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन मे कुल 10 लीटर, 05 लीटर क्षमता वाली 03 पीला रंग की प्लास्टिक जरकीन मे कुल 15 लीटर, 05 लीटर क्षमता वाली 01 हरा रंग की प्लास्टिक जरकीन में कुल 05 लीटर, 05 लीटर क्षमता वाली 01 संतरा रंग की प्लास्टिक जरकीन में कुल 05 लीटर कुल जुमला शराब 105 लीटर जुमला कीमत 21 हजार रुपए का होना पाया गया। आरोपी यशवंत कुमार कमार के कब्जे से समक्ष गवाहन के जब्त कर मौके पर शीलबंद किया। आरोपी यशवंत कुमार कमार का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना फिंगेश्वर पुलिस टीम के विशेष भूमिका रही।

तुलसीपुर ममता नगर क्षेत्र के 10 दुकानों से लगभग 3 किलो झिल्ली पन्नी जब्त, 5 हजार 4 सौ जुर्माना

# मलमा मण्डप-प्रतिबंधित, प्लास्टिक के लिए निगम की कार्यवाही

पीपुल्स संवाददाता ● राजनांदगांव

editor@peoplessamachar.co.in

शासन निर्देश के अनुक्रम में प्लास्टिक मुक्त नगर की परिकल्पना को साकार करने प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने तथा सडक में बिल्डिंग मटेरियल व मलमा रखने पर मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित अतिक्रमण एवं स्वास्थ्य टीम आज तुलसीपुर, ममता नगर क्षेत्र के चना, फल सब्जी व किराना दुकानों में दबिश दी और प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग करने पर 10 दुकानों से लगभग 3 किलो झिल्ली पन्नी की जब्ती कर 5 हजार 4 सौ रुपए जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार जूनीहटरी तथा लोहारा पारा में रेत, गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल रखने पर संबंधित से 15 सौ व 3 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया गया। आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों के द्वारा अपने आवास व दुकानों के सामने मलमा तथा दुकानों का समान रखकर सडक में अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ साथ गंदगी फैलती है। जिसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्यवाही कर रहा है, कार्यवाही के तहत आज जूनीहटरी में मकान बनाने रोड पर रखे मटेरियल को हटाने संबंधित को निर्देशित कर 1 हजार 5 सौ रुपए अर्थदण्ड, इसी प्रकार लोहार पारा में रोड में मटेरियल रखने पर संबंधित से 3 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्लास्टिक प्रतिबंधित करने शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर साफ सफाई रखने, प्लास्टिक के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध किए जाने समझाइश देने के अलावा कार्यवाही भी की जा रही है। कार्यवाही की कड़ी में आज तुलसीपुर, ममता नगर, मोतीपुर क्षेत्र में दबिश देकर किराना, चना दुकान तथा फल व सब्जी दुकान से 5 हजार 4 सौ रुपए जुर्माना वसूल 2 किलो 8 सौ ग्राम पालिथीन जब्त किया।

ICICI Home Finance | कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालयः क्रिसेंट प्लाजा, यूनिट-एच4, द्वितीय तल, स्वरूप टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है'', ''जो है, जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में बताया गया है। इसके अंतर्गत;

| स. क्र. | उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/ गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम/ ऋण खाता संख्या। | ज्ञात ऋणभारों के साथ सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण, यदि कोई हो | बकाया राशि | आरक्षित मूल्य / बयाना जमा राशि | संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय | नीलामी की तिथि एवं समय | नीलामी तिथि से एक दिन पहले | सरफेसी स्टेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (D) | (C) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) |
| 1. | शैला अरुण डोंगरवार (उधारकर्ता) अरुण कुमार गोविंदराव डोंगरवार (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता क्रमांक LHDRG00001574043/ LHDRG00001574046 | पी एच नंबर 19ए, आरएनएम- कोहका, खसरा नंबर 1029/2, मौजे कुराड, तहसील और जिला। दुर्ग (सीजी) | रु. 71,55, 066/- अप्रैल 11, 2025 | रु. 50,96, 450/- / रु. 5,09, 645/- | मई 15, 2025 11:00 AM से 03:00 PM | मई 23, 2025 02:00 PM से 03:00 PM | मई 22, 2025 को 05:00 PM से पहले | भौतिक कब्जा |

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (URL Link-https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/नोटिस को 22 मई, 2025 को शाम 05 :00 बजे से पहले आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को 22 मई, 2025 को शाम 04 :00 बजे से पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर बयाना राशि जमा (EMD)RTGS/ Demand Draft DD) (कॉलम E देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को 22 मई, 2025 को शाम 05 :00 बजे से पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। बयाना जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड- नीलामी" के पक्ष में होना चाहिए, जो लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर देय हो।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com पर जाएँ।

दिनांक : 17 अप्रैल 2025
स्थान : दुर्ग

अधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106